रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 27 जून, 2000/6 आषाढ़, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 मई, 2000

संख्या स्वास्थ्य-क-ए (3)-3/99.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद्द 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कनिष्ठ सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाऐं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कनिष्ठ सहायक वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 है ।

(2) य नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

एस0 एस0 परमार,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

मूल्य : 1 रुपया ।

606-राजपत्र/2000-27-6-2000--1,360.